NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No :207/NCRES/20 Date : 12.10.2020

श्रीमान मुख्य कार्मिक अधिकारी (आई.आर)
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– श्री नारायण दास APO/RSK व यूनियन प्रतिनिधियों के मध्य उत्पन्न विवाद के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– (i) APO/RSK का शिकायती पत्र दिनांक 16.9.2020
(ii) मुख्य कारखाना प्रबन्धक सिथौली का पत्र दिनांक 16.9.2020
(iii) उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रयागराज का पत्र दिनांक 18.9.2020

महोदय,

श्री नारायण दास APO/RSK की पदस्थापना रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली में अगस्त 2018 में हुई थी। उनके पदस्थापना के पश्चात कार्मिक विभाग सम्बन्धी शिकायते लगातार बढ़ती रही व समाधान हेतु यूनियन प्रतिनिधि प्रयासरत रहे लेकिन APO/RSK द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर मुख्य कारखाना प्रबन्धक को अवगत कराया गया और मुख्य कारखाना प्रबन्धक के निर्देश के बाद भी APO द्वारा पात्र कर्मचारियों को प्रमोशन एवं MACP का लाभ नही दिया गया तो मुख्य यांत्रिक इंजीनियर और महाप्रबन्धक महोदय के सिथौली आगमन पर उन्हे भी पात्र कर्मचारियों को प्रमोशन व MACP का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया, इसके बावजूद APO/RSK द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी जिसके कारण कर्मचारियों के अन्दर दिन–प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता गया।

यह भी अवगत कराना है कि जब कर्मचारी भी अपने विभागीय प्रमोशन व MACP का लाभ प्राप्त करने के लिये APO/RSK श्री नारायण दास, से मिलते थे तो उनका व्यवहार कर्मचारियों के प्रति ठीक नही रहता था जिसके कारण कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर दिनांक 10 सितम्बर 2020 को एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें APO द्वारा कर्मचारियों के साथ किये जाने वाले अभद्र व्यवहार व असंसदीय भाषा के प्रयोग करने का जिक्र था।

NCRES द्वारा कर्मचारियों के विभागीय प्रमोशन व MACP का मुद्दा बार–बार उठाने पर मुख्य कारखाना प्रबन्धक ने विभागीय प्रमोशन व MACP का स्टेटस जानने के लिये अपने तकनीकी सहायक वरि. खण्ड अभियन्ता श्री एस. पी. शर्मा को APO के पास भेजा, उस समय भी APO ने श्री शर्मा के साथ दुर्व्यवहार एवं गाली गलौच किया व श्री शर्मा के ऊपर हरिजन एक्ट लगाने की धमकी दिया जिसकी लिखित शिकायत श्री शर्मा ने मुख्य कारखाना प्रबन्धक से किया था।

विभागीय प्रोन्नति व MACP में हो रहे असाधारण विलम्ब व कारखाना कर्मचारियों के सामूहिक हस्ताक्षर का शिकायती पत्र प्राप्त करने पर NCRES के प्रतिनिधि श्री लालजी सिंह चौहान, मण्डल कोषाध्यक्ष, श्री वकील सिंह गुर्जर शाखा कार्यकारी अध्यक्ष, श्री सत्यनारायण मिश्र शाखा उपाध्यक्ष, ने मुख्य कारखाना प्रबन्धक से मुलाकात किया व कर्मचारियों में बढ़ते आक्रोश के बारे में अवगत कराया जिसपर मुख्य कारखाना प्रबन्धक महोदय ने यूनियन प्रतिनिधियों से कहा कि मौखिक व लिखित निर्देशों के बावजूद APO कार्यवाही नही कर रहे है जिसकी सूचना प्रधान कार्यालय को दे दिया गया है इसलिये आप लोग स्वयं APO से मिलकर जानकारी प्राप्त करें।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक के सलाह व कर्मचारियों की लम्बे समय से लम्बित समस्याओं के समाधान हेतु यूनियन के तीनो प्रतिनिधि APO से दिनांक 16.9.2020 को मिलने गये, जिसपर APO ने पहले मिलने से मना किया लेकिन अनुरोध के बाद मुलाकात सम्भव हुई। समस्याओं का जिक्र करते ही APO का रवैय्या बहुत ही नकारात्मक रहा व APO द्वारा यूनियन प्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा जाति का फायदा उठाते हुये फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी गई, जैसा कि APO महोदय पहले भी कर्मचारियों के साथ कर चुके है। इस सम्बन्ध में मण्डल अध्यक्ष श्री राम कुमार सिंह ने अपने पत्र दिनांक 18.9.2020 (संलग्न) द्वारा मुख्य कारखाना प्रबन्धक को विस्तार से अवगत कराया है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 16 सितम्बर 2020 के प्रकरण के बारे में APO/RSK एवं यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध स्थानीय पुलिस थाने में, रिपोर्ट दर्ज कराया गया जिसपर पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है।

प्रधान कार्यालय के सदंर्भित पत्र दिनांक 18.9.2020 के सम्बन्ध में NCRES को बताना है कि श्री नारायण दास APO/RSK का शुरू से ही कर्मचारियों के प्रति व्यवहार ठीक नही है व पात्र कर्मचारियों को प्रमोशन एवं MACP का लाभ देने के लिये मुख्य कारखाना प्रबन्धक के निर्देशों का भी पालन APO नही कर रहे है। इसके अतिरिक्त NCRES के शाखा व मंडल के पदाधिकारियों द्वारा उठाये गये मुद्दों को जानबूझकर APO द्वारा संज्ञान में नही लिया जा रहा, तथा जाति सूचक शब्द प्रयोग करने का मुकदमा लिखाने की धमकी दी जा रही है।

उपरोक्त स्थिति में NCRES का अनुरोध है कि सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिये जरूरी है कि श्री नारायण दास APO पर अंकुश लगाया जाय या कही और पोस्ट किया जाय।

संलग्नः– यथावत

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

NORTH CENTRAL RAILWAY ENPLOYEES SANGH

Line Branch, Gwalior

Registered, Recognized & Affiliated To NFIR & INTUC
Head Office: 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (UP)
GWL Office: Railway Colony West Ph: 44911, 44967 (Rly)

Date....18.09.2020

प्रति,

श्रीमान मुख्य कारखाना प्रबंधक,

रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली ग्वालियर

विषय:- यूनियन के पदाधिकारियों के साथ रेलवे सहायक कार्मिक अधिकारी श्री नारायण दास जी द्वारा अभद्रता किये जाने एवं जान से मारने की धमकी देने की शिकायत ।

महोदय,

आवेदक उत्तर मध्य रेलवे एम्प्लोयी संघ के पदाधिकारी होकर कर्मचारियों की समस्याओं को विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर उनका निराकरण के लिए निवेदन एवं अन्य विधिक कार्यवाहियां करते हैं:-

1. रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली ग्वालियर में कार्यरत कर्मचारियों की कुछ समस्याओं जैसे की पीने का स्वच्छ पानी न होना तथा विभागीय पदोन्नत्ति की प्रक्रिया कई वर्षो से लंबित होकर कर्मचारियों का बिना पदोन्नत्ति, सेवानिवृत, एम्0ए0सी0पी तथा कारखाने की जर्जर स्थिति के कारण होने वाली संभावित दुर्घटनाएँ एवं रेलवे कॉलोनी के सीवेज आदि की समस्या तथा कारखाने में विधुत आपूर्ति अबाधित होने के सम्बन्ध में एक ज्ञापन यूनियन के द्वारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारिओं को सौंपा गया था एवं उक्त सभी परेशानियों से उन्हें समय समय पर अवगत कराया गया था तथा कोविद 19 वैश्विक महामारी से बचाव हेतु भी अधिकारीयों से यूनियन द्वारा निवेदन किया गया था की वह कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों को मास्क तथा सैनीटाइज़र उपलब्ध कराये जावे ।
2. श्री नारायण दास जी की पदस्थापना दिनांक 01.08.2018 से कर्मचारियों की पदोन्नत्ति, सेवानिवृत, एम्0ए0सी0पी पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी । इन्ही समस्याओं के सम्बन्ध में कर्मचारियों द्वारा कई बार सहायक कार्मिक अधिकारी श्री नारायण दास जी से व्यक्तिगत रूप से कई बार निवेदन करने गए परन्तु श्री नारायण दास जी जोकि प्रतिदिन झांसी से ग्वालियर अप-डाउन करते हैं कई बार देरी से आने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी तथा जिस कारण विभाग द्वारा श्री नारायण दास से स्पष्टीकरण माँगा गया जिस वजह से श्री नारायण दास जी कर्मचारियों एवं यूनियन से द्वेषपूर्ण भावना रखते है । अधिकाँशतः वे कर्मचारियों से मिलने से इंकार कर देते थे जिससे परेशान होकर कर्मचारियों द्वारा उक्त सभी माँगे यूनियन के समक्ष उठाई जिसके सम्बन्ध में यूनियन के पदाधिकारीगण श्री सत्य नारायण मिश्रा (शाखा उपाध्यक्ष), श्री वकील सिंह (शाखा कार्यकारी अध्यक्ष) एवं लाल जी सिंह चौहान (मंडल कोषाध्यक्ष) दिनांक 16.09.2020 को सहायक कार्मिक अधिकारी श्री नारायण दास जी से मिलने उनके कार्यालय रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री सिथौली पर गए ।
3. यूनियन के पदाधिकारिओं द्वारा जब अपने आगमन की सूचना श्री नारायण दास जी को भिजवाई तो पहले तो उन्होंने मिलने से ही इंकार कर दिया किन्तु निवेदन करने पर चैम्बर में अंदर बुला कर कहने लगे के तुम लोग कोई काम नहीं करते हो फ़ालतू की नेता गिरी करते हो में तुम सबको देख लूँगा तथा गन्दी गन्दी माँ बहन की अश्लील गालियां देने लगे तथा कहने लगे के तुम्हारी नेतागिरी तो मै

NORTH CENTRAL RAILWAY ENPLOYEES SANGH

Line Branch, Gwalior

Registered, Recognized & Affiliated To NFIR & INTUC
Head Office: 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (UP)
GWL Office: Railway Colony West Ph: 44911, 44967 (Rly)

Date.......................

Ref.:

निकालूंगा तुम सबके के खिलाफ पुलिस मे जाती सूचक मिथ्या शिकायत कर के तुम सबकी नेतागिरी तुम्हारी गांड़ मे घुसा दूंगा । श्री नारायण दास जी सहायक कार्मिक अधिकारी द्वारा इस भाषा का प्रयोग करने से हम सभी लोग अत्यंत डर गए तथा हमारे द्वारा कहा गया के हम गरीब मजदूर लोग हैं अपनी परेशानियों के निराकरण के लिए श्रीमान के समक्ष आये थे साहब नाराज़ न हों इतना सुनते ही श्री नारायण दास जी आग बबूला हो गये और पुनः माँ बहन की अश्लील गालियां देते हुए श्री सत्य नारायण मिश्रा को जूता फेंक कर मारा तथा गिरेबान पकड़ कर थप्पड़ देते हुए ज़मीन पर गिरा दिया तथा पेट में दो तीन लाते मारी जिसका श्री वकील सिंह (शाखा कार्यकारी अध्यक्ष) एवं लाल जी सिंह चौहान (मंडल कोषाध्यक्ष) द्वारा बीचबचाव किया गया तब श्री नारायण दास ने यूनियन से उपस्थित सभी यूनियन के पदाधिकारियों से कहा के सालो अपनी औकात मे रहो नहीं तो तुम सबको जूते मार मार कर सही कर दूंगा और सभी यूनियन के पदाधिकारियों को धक्के दे कर बेइज्जत कर के अपने कक्ष से भगा दिया तथा श्री नारायण दास ने कहा के अब मे तुम सभी के खिलाफ झूठी शिकायत/प्रथम सूचना भी करूँगा फिर देखूंगा तुम लोगो की नेतागिरी ।

4. आवेदक को आशंका है की श्री नारायण दस जी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए यूनियन के पदाधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए झूठी एवं मिथ्या शिकायत की जा सकती है ।

अतः श्रीमानजी से निवेदान है की आवेदक के आवेदन पर उचित कार्यवाही करते हुए श्री नारायण दास जी के विरुद्ध यूनियन के पदाधिकारियों से की गयी अभद्रता के खिलाफ वैधानिक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे तथा यूनियन के पदाधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी प्रकार की मिथ्या शिकायत पर निष्पक्ष जांच उपरान्त ही कोई कार्यवाही की जावे ।

स्थान - ग्वालियर
दिनांक - 18/09/2020

आवेदक
[signature] 18/09/2020
राम कुमार सिंह मंडल
(अध्यक्ष एन0सी0आर0ई0एस)

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज
2. श्रीमान मुख्य यांत्रिक अभियंता उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज
3. श्रीमान मुख्य कार्मिक अधिकारी उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज